RAJYA SABHA

Friday, the 12th June, 1998/22 Jyaistha, 1920 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I refer with profound sorrow to the passing away of Shri A.K. Refaye, a former Member of Rajya Sabha on the 21st March, 1998 at the age of 74.

Bern at Aduthurai in the Tanjore District of Tamil Nadu in January, 1924, Shri Refaye had his education at Thirunelveli. Shri Refaye chose journalism as his profession and became the Editor of the "URIMAL KURAL", a Tamil weekly. A person of affable nature, Shri Refaye was also associated with various social and welfare organisations engaged in the uplift of weavers and minorities. Shri Refaye also had a number of publications to his credit.

Shri Refaye represented the State of Tamil Nadu in this House from April, 1972 to April, 1978 and evinced keen interest in the proceedings of the House.

We deeply mourn the passing away of Shri A.K. Refaye.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of request to the memory of the departed.

(Hon. Members then stood in. silence for one minute.)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the be-eaved family our sense of profound sorrow and deep' sympathy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Quota of Wheat and Rice for States

*241. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of monthly quota of wheat and rice fixed for various States, State-wise;

(b) the details of deduction of monthly quota of wheat and rice from June, 1997;

(c) whether State Government of Gujarat have made any representation against cut in quota; and

(d) if so, the details thereof and by when the quota will be restored?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA)- (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Details of the monthly quota of wheat and rice for May, 1997 (Pre-TPDS), the monthly quota of wheat and rice fixed under Targetted Public Distribution System (TRDS) from June.. 1997 and the variation in the monthly quotas fixed under TPDS as compared to Pre-TPDS monthly quotas are given in the Annexure. *[See* Appendix 184. Annexure No. 57.]

Government of Gujarat represented in July, 1997 against reduction in foodgrains allocation under TPDS o*n* the basis of their own estimate of families living Be-low Poverty Line (BPL). The Government of Gujarat also requested for allocation of 20,000 MT wheat and 12,000 MT rice per month. Over and above the TPDS monthly quotas. After considering the request additional allocation of 12,000 MT rice and 10,000 MT wheat per month was given to Gujarat at economic cost from August, 1997to November, 1997 In December, 1997 additional allocation of 10,000 MT rice and 12,500 MT wheat was given to the State at Central Issue

Prices (CIP) applicable to the families Above Poverty Line (APL). Further, additional allocation of 20,000 MT wheat each for January, 98, February, 98 and March, 98 was given" to the state at APL rates. Under the TPDS, monthly APL and BPL quotas of rice and wheat are, however, fixed for all States/UTs including Gujarat.

श्री बंगारू लक्ष्मण: सभापति महोदय, यह टाईगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पिछले साल मई, 1997 में लागू करने के बाद सारे देश में राज्यों का जो मासिक कोटा था चावल और गेंहूं का, उसमें लगभद आधी मात्रा में कटौती हुई है। सरकार ने अपने नॉर्म्स रिवाइज किए थे, शायद उसके कारण यह कटौती हुई होगी। ये जो नॉर्म्स फिक्स किए गए है बिलो पोवर्टी लाईन रहने वालों की पापुलेशन के सिलसिले में और नंबर ऑफ फैमिलीज़ के सिलसिले में, कई राज्यों से इस बारे में रिप्रैजेटेशंस आ रहे है और समय-समय पर कोटा बढ़ाने की मांग उठती रही है।

महोदय, मैंने पैसिफिक क्वेश्चन गुजरात के बारे में पूछा है। इसके जवाब में मंत्री जी ने एक विवरण सदन के पटल पर रखा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार ने भारत को इस बारे में रिप्रैजेंट किया है कि भारत सरकार के हिसाब से गुजरात के अंदर बिलो पोवर्टि लाईन रहने वाली फैमिलीज़ 20 लाख है जब कि गुजरात सरकार ने यह साबित किया है कि गुजरात राज्य के अंदर इस प्रकार की फैमिलीज 30 लाख है और इस हिसाब से गुजरात का कोटा बढ़ना चाहिए। वे कई बार अपना प्रतिनिधिमंडल यहां लेकर आए और उन्होंने यहां बातचीत भी की। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय लिया है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सर अभी तक तो जो निर्णय पहले था, वही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो हालात गुजरात के आज चल रहे है, उनको ध्यान में रखते हुए यदि कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। साइक्लोन की वजह से वहां के हालात अभी बिगड़े है, उसके लिए हम जो कुछ कर सकेंगे, करेंगे लेकिन फिलहाल जैसा पहले निर्णय किया गया था, वही चल रहा है।

श्री बंगारू लक्ष्मण: सभापति जी, मंत्री जी ने ठीक कहा है कि गुजरात में अभी हाल में जो घटना हुई है, उससे हाला तो और खराब हो गए है और निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर सरकार को यह व्यवस्था करनी होगी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ बडी मात्रा में उन्हें देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा इस साल मई के महीने से उन्होंने एक नई स्कीम शुरू की है कि जो गरीबी के रेखा के नीचे रहते है, उनको सस्ते दामों में राशन, गेहू और चावल मुहैया कराना। यह भी देखा गया है कि गेंहूं का वहां पर कंजम्प्शन ज्यादा है, चावल का उसकी तुलना में कम है लेकिन गेंहू के कोटे में 1997 के बाद, पिछले साल गेंहू के कोटे में बडी मात्रा में कटौती हुई जबकि चावल में थोडी सी हुई है। मंत्री जी, क्या जो बडी मात्रा में आपने गेंहू का कोटा काटा है, उनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे? उसी प्रकार से मई 98 में जो कोटा कम किया गया है, केवल चावल और गेंहू दोनों मिला कर 20 हजार मीट्रिक टन मात्र गुजरात को दिया गया है जबकि उनको बाकी नॉर्म्स के हिसाब से ज्यादा मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिला है। इस कटौती को दूर करके फिर क्या नॉर्मलसी लाएंगे।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सर, दिसम्बर, 1997 से गुजरात के लिए द्स हजार मीट्रिक टन चावल और साढे बारह हजार मीट्रिक ट्न गेंहू दिया जाता था सेंट्रल ईश्यू प्राइस पर। अब एडीशनल ऐकोकेशन किया गया है और बीस हजार मीट्रिक टन गेंहू जनवरी 98 से फरवरी, मार्च 98 में दिया गया है। और भी अगर जरूरत होगी तो हम और भी एडीशनल कोटा दे सकेंगे। इसमें गेंहू ज्यादा देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हम ऑनरेबल मैम्बर को बताना चाहते है।

SHRI KHAGEN DAS: Sir, it was decided by the Central Government that two lakh tonnes of foodgrains will remain as buffer-stock for any region in the FCI godowns. It is reported that the present stock position is slightly above one lakh tonnes. May I know from the hon. Minister what steps the FCI has taken to replenish the buffer-stocks in any State.

Secondly, due to landslides the rail link between Lumding and Badarpur has been cut off for the last six days. The hon. Railway Minister is here. It is learnt that as the damage is so bad, it will take at least two to three weeks to restore the rail link. The present stock position in Tripura will be able to cater to the demand for only one month. May I know from the hon. Minister what alternative steps have been taken by the *FCI* to

replenish the buffer-stocks in Tripura in view of the disruption of railway link between Lumding and Badarpur due to landslides.

SHRI SURJEET SINGH BARNALA: Regarding repair or laying lines, my hon. Colleague might be replying if there is a question put to him on this. But, so far as food storage in that area is concerned, I may inform the hon. Member that we always keep a watch on this. We are ensuring that because of the impending monsoons there is enough stock in the godowns in that area so that there is no shortage in any of those States in the North-East. That is our effort. If there is any complaint of foodgrains shortage in any place, the hon. Member may kindly bring it to my notice. We will try to replenish the stocks as soon as possible.

SHRI KHAGEN DAS: Sir, just now I have brought it to the Notice of the hon. Minister. I have given specific statistics about the foodgrains position in the North-East Region. The stocks were estimated to be at 2,50,000 tonnes, but now it is slightly above 1,00,000 tonnes. In the case of Tripura only one month's stock is there. Due to landslides, there is a road blockade. May I know from the Minister what alternative steps does his Ministry propose to take to replenish the stocks?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, this is a specific question, not related to this question. However, I will be able to give all the figures to my hon. friend. As I said earlier, we will be able to replenish the stocks wherever necessary. At any cost we will try to do it.

श्री रामजीलाल: धन्यवाद सभापति महोदय । मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसे स्टेटमेंट में उन्होंने दिया है कि पहले तो कोटा टी.डी.पी.एस. के तहत निर्धारित कर देते है और फिर बाद में कम कर देते है । सारी स्टेटमेंट से पता चलता है कि निर्धारित किया हुआ कोटा कुछ और है । और जो स्टेट्स को मिला है, वह कुछ और है । इसके क्या कारण है? जबकि हमारे बफर स्टॉक में भी काफी है । चावल और कनक की कोई कमी नही है । तो इसके क्या कारण है कि वह कम किया जाता है. निर्धारित किए हुए कोटे को कम करने से सारा सिस्टम बिगड़ा है, मै मंत्री जी से यही जानन चाहता हूं ।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सर, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जून 1997 से शुरू किया गया था । उसके अंतर्गत एक सर्वे किया गया कि कौन लोग बिलों पॉवर्टी लाइन आएंगे? प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी मुकर्रर की जो लकड़वाला कमेटी कहलाती है । उन्होने सर्वे करने बाद एसेंस किया कि कहां किस-किस स्टेट में कितनी तादाद बिलो पॉवर्टी लाइन आती है? क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन जो टारगेटेड ग्रुप था, उसके लिए काफी कम कीमत पर अनाज सप्लाई करना था इसलिए यह नए सिरे से निर्धारित किया गया । सभी स्टेट्स में यह अलग-अलग हुआ, किसी स्टेट में बढ़ गया, किसी स्टेट में कम हो गया ।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, I am thankful to the hon. Minister for reconsidering the quota of wheat and rice supplied to the State because of the cyclonic storm. The Government has reduced the quota of wheat by 2,00,000 tonnes for the whole country. But right from 1970 and 1976, the State of Gujarat has been demanding for increasing the quota of wheat supplied to us, but it has never been done.

Moreover, in some the the FCI godowns, we find that the wheat has been rotten, particularly, I am talking about my district, Godhra, where FCI godowns are located. There we found for the last four months all the foodgrains have become rotten. Would the Minister take care of this thing and enquire into this particular aspect?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Surely, Sir, the matter pointed out by the hon. Member will be enquired into. But I may mention that by long storage sometimes foodgrains get discoloured and sometimes they get damanged also. This morning I have received some reports that because of the cyclonic storm, the water has entered into some of the godowns. Some sacks laying the lower strata have been damanged. Our effort will be to salvage even these foodgrains.

We will issue immediate orders so that the wheat which has become wet by the sea water can be dried as early as possible and after proper drying and after seeing its condition it can be reused. In this case also in some of the godowns the foodgrains got damaged because of certain conditions. As pointed out by the hon. Member, we will look into the matter.

श्री संजय निरूपम: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से सवाल पूछने से पहले एक जानकारी देना चाहता हू कि मार्च 1995 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो सरकार ने सार्वजनिक तौर पर एक घोषणा की थी कि आने वाले पांच सालों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जो पांच जीवनावश्यक वस्तुए बेची जाती है, वितरित की जाती है, उनके मुल्य स्थिर रहेंगे वह मूल्य आज एक स्थिर है और दो साल तक स्थिर रहेंगे। इसका एक बड़ा अच्छा प्रतिसाद महाराष्ट्र में मिला है और सरकार का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना है या केन्द्र सरकार कोई ऐसी योजना बाकी के राज्यों के लिए भी बनाना चाहती है ताकी बाकी राज्यों पर कंपलसरी या उनकी इच्छा के अनुसार यह निर्धारित किया जा सके कि हर राज्य में जीवनावश्यक चीजों के प्राइस कुछ सालों तक निर्धारित रहे, फिक्स रहे?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: सर्म कोशिश तो यह रहती है कि पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन सिस्टं को रिफोर्म किया जाए। क्योंकि यह ऐसा काम है तो बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ता है, इसलिए इसमें कही थोडी बहुत कोताही भी हो जाती है। लेकिन जैसा महाराष्ट्र में बता रहे है कि अच्छे ढ़ंग से चल रहा है, उसकी लेकर हम और जगह पर भी कोशिश कर रहे है। जो कुछ कहीं हमें दिखायी देता है कि इसमें कही कमी है, इसकों पूरा किया जाए, ऐसे ऐफर्टर्स कॉन्सटेंटली चलते रहे है।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: चेयरमैं सर, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची है – विभिन्न राज्यों से शिकायतें मिली है कि यह सूची पूर्ण नहीं है। इससे कहीं ज्यादा संख्या में बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग है। यह शिकायतें प्रायः हर प्रखंड से आ रही है। मै सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट बिहार के बारे में है कि जिस संख्या के आधार पर वहां गरीबी रेखा से नीचे के परिवार वालों के लिए राशन आबंटित हो रहा है, उससे अधिक राशन उनकी वास्तविक संख्या को देखते हुए आबंटित करने की जरूरत है? अगर ऐसी रिपोर्ट है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है और क्या सरकार उसके अनुरूप राशान का आबंटन करती है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: यह जो लकड़वाला रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक बिहार की तादात, बिलों पॉवर्टि लाइन की, बढ़ा दी गयी है, पचास परसेंट के गरीब आबादी वहां पॉवर्टी लाइन है। उसके लिए सारे प्रावधान किये जाते है। बिलों पॉवर्टि लाइन को बहुत कम कीमत पर अनाद दिया जाता है – 250 रूपये गेंहू और 350 रूपए चावल – इस कीमत पर उनको दिए जाते है। और तकरीबन पचास परसेंट – जैसा उन्होने रिकोड किया था, उसके मुताबिक मुकर्रर कर दिया गया और उतनी सप्लाई की जाती है।

*242. the *Questioner (Shri Raj Nath Singh) was absent for answer vide col... infra.]*

Procurement of Wheat by Government Agencies

*243, SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total quantity of wheat procured by Government agencies during the current ratri crop so far;

(b) whether there is any shortfall in wheat procurement this year vis-a-vis the last year's rabi season and if so, by what quantity; and

(c) how Government propose to make up this shortfall?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILZERS AND THE MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA):' (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) 121.04 lakh tonnes of wheat has beeri procured upto 8.6.98 in the current Rabi Marketing Season 1998-99, as against 92.98.lakh tonnes procured during the last Rabi Marketing Season 1997-98.